

निर्दिष्ट
14-01-2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
जसवन्तसिंह
बनाम
अमरसिंह आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 09 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
07.01.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 20.01.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">m</p>	
9.1.2025	<p>वकील वादी ने पार्वना- पत्र भिखाल पेक्षी पेश करते पर प्रजावली को पेक्षी में लिखा गया।</p> <p>कुलार फरिडेन उपरिपता वही प्रजावलीगण को 10/1/25 को हाजिर अदालत आकर पेश किया जिसे कोर्ट लम्बीक शामिल फरिल किया गया प्रजावली करते स्टेट जज्ज आदि 14-01-2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">m</p>	<p>Jas अमरसिंह दीप विमला I by me कुलार फरिडेन केसम पदचान कर रजिस्ट्रार</p>
14.01.2025	<p>कुलार फरिडेन उपरिपता स्टेट जज्ज पार उका।</p> <p>पद पुनी गरी प्रजावली का अको केन डिवागण प्रजावली पर उपरिपता रिपोर्ट आदि व वही प्रजावली- डेवादीनामा डे आघर पर वाद वही डिक्ली डिवा जज्ज डी पूर्ण विकरण सहित निर्णय अलग से निषया जाकर शामिल फरिल डिवा जज्ज प्रजावली नम्बर से काग की जाकर कोर्ट लम्बीक लम्बीक जज्ज का डिस्ट रफर हो।</p> <p style="text-align: center;">m</p>	<p>Rajendra Akh</p>

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

